-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :-41/2025

उनवान

1. मुकेश कुमार चौधरी पुत्र छोटू चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद

-- प्रार्थी :- जरियें अधिक्ता श्री कालूराम गुर्जर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- अप्रार्थी :- जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :- दिनांक :- 12.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 1232 व 1233 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1231 का उपयोग किया जाता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 1232 व 1233 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1231 का उपयोग किया जाता है। खसरा नम्बर 1231 सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। खसरा नम्बर 1231 सिवायचक है। उक्त खसरा नम्बर मोके पर रिक्त है। अन्य वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नही है। मौका रिपोर्ट पर प्रकरण का कोई खण्डन नही है।
मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता सिद्व होती है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 1231 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भटियानी के खसरा नम्बर 1231 में से 16 मीटर चौडा व 4.575 मीटर चौडा कुल 73.2 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्तें के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश [illegible] है। [illegible] नसीराबादउक्त भूमि के बदले 7420/ अक्षरे सात हजार चार सौ बीस रूपये [illegible] में भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमलदरामद [illegible] करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद